

छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय,

महानदी भवन, नवा रायपुर—अटल नगर
जिला—रायपुर (छ.ग.)

क्र. 4453 / एफ-7-95 / 31 / एस-2 / 2020,
प्रति,

अटल नगर, दिनांक 26/10/2021

मुख्य अभियंता,
हसदेव गंगा कचार,
जल संसाधन विभाग,
अंबिकापुर (छ.ग.)

विषय:- कोरिया जिले के सोनहत विकासखण्ड अंतर्गत कुशमाहा जलाशय एवं नहर का जीर्णोद्धार कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति बाबत्।

संदर्भ :- प्र.अ. का पत्र क्र. 222 / बो.प्र. / प्रशा.स्वी. / 2020 / 10208, नवा रायपुर, दि. 19.11.2020.

—00—


राज्य शासन एतद द्वारा कोरिया जिले के सोनहत विकासखण्ड अंतर्गत कुशमाहा जलाशय एवं नहर का जीर्णोद्धार कार्य हेतु लागत राशि रु. 127.94 लाख (रुपये एक करोड़ सत्ताइस लाख चौरानबे हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. योजना से 260 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की कमी की पूर्ति सहित पूर्ण रूपांकित क्षमता 421 हेक्टेयर में सिंचाई किया जाना प्रस्तावित है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण—पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग—एक के नियम—10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट माँग संख्या—41 अनुसूचित जनजाति उप योजना, मुख्य शीर्ष—4702 लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {101} संतही जल, 0102 अनुसूचित जनजाति उप योजना (3828)—लघु सिंचाई योजना, #97 निर्माण कार्य, 003 बाँध एवं नहरके अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. छ.ग.शासन, वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय के वित्त निर्देश 25/2012 अनुसार गठित समिति की बैठक दिनांक 23.09.2021 द्वारा सहमति प्राप्त है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


26/10/2021
(प्रेमसिंह घरेन्द्र)

अवर सचिव


श्री अशोक संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ शासन

पृ.क्र. 4454 / एफ-7-95 / 31 / एस-2 / 2020,

अटल नगर, दिनांक 26 / 10 / 2021

प्रतिलिपि :-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
- 2 निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
- 3 विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
- 4 अपर मुख्य सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
- 5 सचिव, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
- 6 महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
- 7 महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
- 8 कलेक्टर, जिला—कोरिया (छ.ग.)।
- 9 संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
- 10 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर।
- 11 उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 अटल नगर।
- 12 अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट स्टेट डाटा सेंटर, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग परिसर, रायपुर (छ.ग.)।
- 13 अधीक्षण अभियंता, श्याम बरनई परियोजना मण्डल अभिकापुर, जिला—सरगुजा (छ.ग.)।
- 14 कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बैकुण्ठपुर, जिला—कोरिया।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 15 आदेश फोल्डर।

*Sudh
26/10/2021*
अवर सचिव

*छत्तीसगढ़ शासन
अटल संसाधन विभाग
26/10/2021*